

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।  
परिवहन विभाग,  
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं0एफ0 19(03)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2017/पार्ट-II/142

दिनांक- 26/3/2018

सेवा में,

उप- सचिव (प्रश्न),  
दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय,  
दिल्ली-54


विषय : दिनांक 27.03.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले

तारांकित प्रश्न सं0 - 138

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,

  
VIKAS JAIN  
Pollution Control  
Transportation  
0/9 Under Hill Road, Delhi-110016  
(विकास जैन)  
पी.सी.ओ. (सचि0)

विभाग का नाम:-  
 विभाग का पता :-  
 तारांकित प्रश्न संख्या :-  
 प्रश्नकर्ता का नाम:-  
 दिनांक:

परिवहन, दिल्ली सरकार  
 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली - 110054।  
 138  
 श्री गिरीश सोनी  
 27. 03. 2018

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर कितने कुली लगे हुए हैं;	उपलब्ध विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार अन्तर्राज्यीय बस अड्डों पर निम्नलिखित कुली लाइसेंस जारी किये गये हैं :- 1. कश्मीरी गेट - 168 2. आनन्द विहार - 72 3. सराय काले खां - 09 <b>कुल कुलियों की संख्या - 249</b>
ख) इन कुलियों के लाभ के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों का वर्षवार विवरण क्या है;	अ) वर्ष 2017 में कुलियों के लाइसेंस (मृत्यु, वृद्ध व अशक्त होने की स्थिति में) स्थानान्तरण करने हेतु पॉलिसी OM.No. DTIDC/2011-12/0009/88 दिनांक 18.05.2017 बनाई गई है तथा 10 कुलियों के लाइसेंस स्थानान्तरण का अनुमोदन जाँच समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, संबंधित आवेदको को लाइसेंस स्थानान्तरण पत्र जारी किया जा रहा है। ब) तीनों बस अड्डों आनन्द विहार, सराय काले खां और कश्मीरी गेट पर कुली विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। स) 2016 में कश्मीरी गेट बस अड्डे पर कुली विश्राम गृह का उन्नयन कार्य किया गया। ड) माननीय परिवहन मंत्री के निर्देश पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बने कुली रूम के बिजली बिल को परिवहन विभाग/डीटीआईडीसी द्वारा वहन करने के निर्देश को लागू कर दिया गया है।
ग) परिवहन मंत्री द्वारा घोषित किए गए कल्याणकारी कदमों का विवरण क्या है; और	अ) माननीय परिवहन मंत्री के निर्देश पर कश्मीरी गेट बस अड्डे पर बने कुलीरूम के बिजली बिल को परिवहन विभाग/डीटीआईडीसी द्वारा वहन करने के लिए निर्देशित किया गया। ब) कुलियों के कल्याण/ पेंशन भुगतान का अवलोकन करने हेतु निर्देशित किया गया।
ग) इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन का विवरण क्या है?	अ) डीटीआईडीसी के ओदश दिनांक 23.02.2018 द्वारा कश्मीरी गेट पर स्थित कुली आराम कक्ष का बिजली का बिल डीटीआईडीसी द्वारा वहन किया जा रहा है। ब) वर्ष 2017 में कुलियों के लाइसेंस (मृत्यु, वृद्ध व अशक्त होने की स्थिति में) स्थानान्तरण करने हेतु पॉलिसी OM.No. DTIDC/2011-12/0009/88 दिनांक 18.05.2017 बनाई गई है तथा 10 कुलियों के लाइसेंस स्थानान्तरण का अनुमोदन जाँच समिति तथा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दिया गया है, संबंधित आवेदको को लाइसेंस स्थानान्तरण पत्र जारी किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

(वर्मा जोशी)

VARSHA  
 Secretary cum Commissioner (Tpt)  
 Transport Department  
 GNCT Delhi  
 5/9, Under Hill Road, Delhi